

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 61 / 2026

- 1 अमरजीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 2 गुरचरण सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 3 राजकौर पत्नी नानक सिंह जाति रायसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

- 1 जरनैल सिंह पुत्र नानक सिंह जाति रायसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 2 ईकबाल सिंह पुत्र नानक सिंह जाति रायसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 3 कुलदीप कौर पुत्री नानक सिंह जाति रायसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 4 कौशल्या बाई पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी अजय कुमार जाति रायसिख निवासी मल्लडखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 5 छिन्द्र कौर पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी गुरदेव सिंह जाति रायसिख निवासी चक 3 एस. आर. डब्ल्यू. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 6 गोगा बाई पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी गुरदेव सिंह जाति रायसिख निवासी रानियां तहसील रानिया जिला सिरसा।
- 7 जसविन्द्र कौर पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी राजकुमार जाति रायसिख निवासी राजापुर तहसील व जिला लुधियाना।
- 8 सोमारानी पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी गुरमीत सिंह जाति रायसिख निवासी बाहमणीवाला तहसील व जिला फाजिल्का।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री परमजीतसिंह व प्रतिवादी वकील अरविन्द्र नैण अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक 4 एफ. टी. पी. के खाता संख्या-84/64 में 1.455 है० व खाता संख्या - 60/45 में 0.481 है० आराजी के वादीगण को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व चक चक 4 एफ. टी. पी. के खाता संख्या-84/64 में 1.455 है० व खाता संख्या - 60/45 में 0.481 है० महेन्द्र सिंह पुत्र फौजा सिंह व दारो बाई पत्नी महेन्द्र सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकवे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।